

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर
आदेश

एकलपीठ दाइडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3268/2015
जगदीश बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक: 31.03.2015

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल

श्री एम एफ बेग अधिवक्ता-अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से

श्री प्रकाश ठाकुरिया, विद्वान् लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त-प्रार्थी ने अपनी जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन प्रस्तुत किया है। इस पर अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी व विद्वान् लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री तथा अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गयी साक्ष्य, जिसे आरोप पत्र की प्रतिलिपि के रूप में हमारे समक्ष पेश किया गया है तथा विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि समान आरोप के सह-अभियुक्तगण मदन लाल व फूलाराम को पूर्व में जमानत की सुविधा दी जा चुकी है, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणदोषों पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना उचित मानता हूं।

अतः अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त-प्रार्थी जगदीश पुत्र धीसाराम द्वारा रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का स्वयं का बंध पत्र व रूपये 25,000/- - 25,000/- (पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये मात्र) की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-97/2013 पुलिस थाना-महिला पुलिस थाना सीकर से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होता रहेगा।

(न्या० प्रशान्त कुमार अग्रवाल)

अनिलशर्मा/M-70

"all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed." अनिल शर्मा/ps